दिनांक २० दिसंबर, २०१६ को आयोजित विद्वत्परिषद् की छठीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की छठीं बैठक दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2. प्रो. रामानुज देवनाथन्	सदस्य
3. प्रो. मनोज कुमार मिश्र	सदस्य
4. प्रो. कौशलेन्द्र पाण्डेय	सदस्य
5. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य
6. प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
7. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य
8. प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
9. प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
10. प्रो. भास्कर मिश्र	सदस्य
11. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
12. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
13. प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्य
14. प्रो. एस.एन.रमामणि	सदस्य
15. प्रो. इच्छा राम द्विवेदी	सदस्य
16. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
17. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
18. प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य
19. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
20. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	सदस्य
21. प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्य
22. प्रो. रश्मि मिश्रा	सदस्य
23. प्रो. जय कुमार एन. उपाध्ये	सदस्य
24. प्रो. रजनी जोशी चौधरी	सदस्य

कुलपति।

25. डॉ. यशवीर सिंह — सदस्य
26. डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा — सदस्य
27. डॉ. बृन्दाबन दाश — सदस्य
28. डॉ. के भारत भूषण — सदस्य
29. डॉ. मीनाक्षी मिश्र — सदस्य
30. डॉ. विमलेश शर्मा — सदस्य
31. डॉ. रेणु बत्रा — सचिव

कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के साथ ही विद्वत्परिषद् की 6वीं बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। कुलपति महोदय द्वारा डा. शिवदत्त त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन) को यह निर्देश दिया गया कि वह विद्वत्परिषद् की छठीं बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत करें जिससे उपस्थित सदस्य उस पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपना निर्णय प्रदान करें। तदनुसार विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रत्येक मद में दिये गये विवरण को प्रस्तुत किया गया। कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्योक मद पर गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यसूची संख्या ६.१ विद्वत्परिषद की दिनांक १९.०५.२०१६ को सम्पन्न हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि ।

विद्वत्परिषद् द्वारा दिनांक 19.05.2016 को सम्पन हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या ६.२ विद्वत्परिषद की दिनांक 19.05.2016 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन।

विद्वत्परिषद की दिनांक 19.05.2016 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में विद्वत्परिषद् के सचिव द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही की पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद् की पंचम बैठक में लिये गये निम्नलिखित प्रकरण पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया :-

रेणु बत्रा

1. अभिनवगुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक लोकप्रिय व्याख्यान का आयोजन दिसम्बर, 2016 से मार्च, 2017 के मध्य किया जाय।

2. संस्कृत भाषा की उपयोगिता हेतु शिक्षाशास्त्र के अध्यापकों के लिये दो सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन शिक्षा शास्त्र संकाय द्वारा किया जाय।

3. पाण्डुलिपियों पर शोध हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को पत्र भेजा जाय।

4. संस्कृत संभाषण शिविर का नियमित रूप से आयोजन किया जाय। इस सम्बन्ध में गठित समिति (डा. के.सतीश, डा. सुन्दर नारायण झा एवं डा. रामानुज उपाध्याय) द्वारा प्रतिवर्ष सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाय।

5. योग विभाग प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी के संयोजकत्व में गठित विभागीय शोध मण्डल द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गयी। योग विषय के शिक्षण के सम्बन्ध में स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रम को आवश्यक परिमार्जन, सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु पाठ्यक्रम सम्पादन समिति को अधिकृत किया जाता है। योग विभाग के नियमानुसार गठन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.३ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित विभिन्न विभागों की समय-सारणी सूचनार्थ।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त समय-सारणी की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या ६.४ समय-समय पर आयोजित संकाय प्रमुखों एवं अन्य शैक्षणिक समितियों की बैठकों में लिए गये निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संकाय प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर सम्पन्न बैठकों में लिए गये निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या ६.५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ में विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत आचार्य, विशिष्टाचार्य (एम. फिल.) और विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु आयोजित विभागीय अध्ययन मण्डलों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ में विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत आचार्य, विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) और विद्यावारिधि (पीएच.डी.) सत्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु वर्ष 2016 में आयोजित विभिन्न विभागीय अध्ययन मण्डलों द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को मुद्रित करवाने हेतु पूर्वगठित पाठ्यक्रम सम्पादन समिति को सम्पादन एवं मुद्रण हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.६ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, २०१६ के अनुसार निर्मित एवं प्रकाशित विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि नियमावली, २०१६ की स्वीकृति।

विद्वत्परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में विद्यावारिधि/विशिष्टाचार्य में प्रवेश प्राप्त करने, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और उपाधि प्राप्त करने के लिये बनाये गये नियमों को **श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ विशिष्टाचार्य (एम.फिल.)/विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि नियमावली, २०१६** कहा जायेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित होगा और तदनुरूप सम्बन्धित नियमावली सत्र 2016-17 से प्रभावी होगी। शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या ६.७ शैक्षणिक सत्र २०१५-२०१६ में सम्पन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं परीक्षा मण्डल के प्रतिवेदनों की पुष्टि एवं उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2015-2016 में सम्पन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं परीक्षा मण्डल के प्रतिवेदनों की स्वीकृति के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम की पुष्टि की गयी। यह निर्णय लिया गया कि उत्तीर्ण छात्रों को 16वें दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने के लिये आमंत्रित किया जाय।

२६ जनवरी।

कार्यसूची संख्या ६.८ प्राकृत विभाग द्वारा प्रेषित विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि **शोधछात्रों को उपाधि हेतु शोधप्रबन्ध लिखने के लिए माध्यम संस्कृतभाषा के** साथ **विकल्प में प्राकृतभाषा के माध्यम से भी लिखने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्वत्परिषद** के **विचारार्थ प्रस्तुत।**

प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार शोध प्रबन्ध की भाषा संस्कृत ही होगी।

कार्यसूची संख्या ६.९ विद्यावारिधि की उपाधि हेतु योग्य घोषित शोध छात्रों को **विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति।**

विद्यापीठ के विभिन्न विभागों में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध सम्बन्धी विनियम, 2009 के आलोक में प्रस्तुत शोधप्रबन्ध को कुलपति महोदय के आदेशानुसार दो बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकित कराया गया और नियमानुसार उनकी वाक् परीक्षा सम्पन्न कराई गई। वाक् परीक्षा प्रतिवेदन कुलपति द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त उपाधि योग्य छात्रों को 16वें दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्र जिनकी वाक् परीक्षा दीक्षान्त समारोह के आयोजन के पूर्व सफलतापूर्वक सम्पन्न होगी उन्हें भी 16वें दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान की जायेगी।

कार्यसूची संख्या ६.१० सोलहवें दीक्षान्त समारोह में प्रदान की जाने वाली मानद उपाधियों के नामों की स्वीकृति।

कुलपति महादेय द्वारा सदस्यों का यह अवगत कराया गया कि विद्यापीठ द्वारा सोलहवॉ दीक्षान्त समारोह दिनांक 9 जनरवरी 2017 को आयोजित करने का निश्चय किया गया है। दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण हेतु मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी से अनुरोध किया गया था जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है तथा माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी ने समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आने की स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर पर कार्ष्णि स्वामी गुरुशरणानन्द जी महाराज सारस्वत अतिथि के रूप में आशीर्वचन प्रदान करने के लिये उपस्थित होगें।

रेनू बत्रा।

देश के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान करने हेतु कुलपति महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति (प्रो.रामकृष्णमाचार्यलु, प्रो. पंकज जानी, प्रो. रमेशचन्द्र पण्डा, प्रो. पी.एन. शास्त्री) की बैठक दिनांक 27/11/2016 को आहूत की गयी थी जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार सोलहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर निम्नलिखित विशिष्ट विद्वानों को महामहोपाध्यायएवं वाचस्पति मानद उपाधियाँ प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गई जिसे विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्ट किया गया :-

महामहोपाध्याय

1. आचार्य जी. महाबलेश्वर भट्ट (कर्नाटक)
2. आचार्य श्री. चिर्रावूरि श्रीरामशर्मा (आन्ध्र प्रदेश)

वाचस्पति

1. आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य (उत्तर प्रदेश)
2. आचार्य विश्वमूर्ति शास्त्री (जम्मू-कश्मीर)

सर्वसम्मति से उपर्युक्त विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान करने की करतल ध्वनि के साथ पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या ६.११ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत मूक्स विनियम २०१६ को लागू करने की स्वीकृति।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत मूक्स विनियम, 2016 को स्वीकार करते हुये लागू करने का निर्णय लिया गया और विद्यापीठ द्वारा निर्मित मूक्स नियमावली, 2016 की पुष्टि की गयी। मूक्स व ई-पी.जी.पाठशाला के सम्बन्ध में गठित समितियों की विभिन्न बैठकों में की गयी संस्तुतियों की पुष्टि गयी। इस सम्बन्ध आवश्यकतानुसार निर्णय हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.१२ प्रवेश एवं शुल्क नियमावली, परीक्षा नियमावली एवं अन्य शैक्षणिक नियमावली आदि तैयार करने हेतु समिति का गठन।

रेनू बतरा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत मानित विश्वविद्यालय विनियम 2016 के अनुपालन में विद्यापीठ के नये मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को पुष्ट किया गया एवं तदनुसार सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार प्रवेश एवं शुल्क नियमावली, परीक्षा नियमावली एवं अन्य शैक्षणिक नियमावली तैयार करने के लिये समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.१३ आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की संस्तुतियों पर विचार।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 08.12.2016 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी तथा नैक को प्रेषित किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गयी। आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा तैयार विभिन्न फीडबैक फार्म को पुष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.१४ योजना एवं देखरेख बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं 2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार गठित योजना एवं देखरेख बोर्ड (प्लानिंग एवं मानीटरिंग बोर्ड) की बैठक 09 दिसम्बर, 2016 में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या ६.१५ संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव विद्वत्परिषद् के विचारार्थ।

संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्गत विनियम, 2014 एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय। शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की पुनःपरीक्षा / पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश हेतु एन.सी.टी.ई तथा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति द्वारा अपनाये गये नियमों की प्रति प्राप्त करने के सम्बन्ध में शैक्षणिक अनुभाग द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को शिक्षणाभ्यास के दौरान कम से कम 90% उपस्थिति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क नियमों को तब तक यथावत् लागू

रेनू बतरा

माना जाए जब तक कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक नियमावलियों को बनाने के सम्बन्ध में गठित की जाने वाली समिति की संस्तुतियां लागू नहीं हो जाती हैं।

कार्यसूची संख्या ६.१६ शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट कुछ छात्रों द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर लघुशोध प्रबन्ध जमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट कुछ छात्रों द्वारा किन्ही कारण वश अपना लघुशोध प्रबन्ध जमा नहीं किया गया है उन्हें 15 जनवरी, 2017 तक लघु शोध प्रबन्ध जमा करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। यह निर्णय सामान्य नियम स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे छात्र जिन्होंने अपना लघु शोध प्रबन्ध जमा कर दिया है उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि शोध प्रबन्ध जमा करने वाले छात्रों को ही द्वितीय सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये नियमानुसार प्रवेश पत्र प्रदान किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2016-17 की शैक्षणिक नियम परिचायिका में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में लघुशोध प्रबन्ध जमा करने से सम्बन्धित नियमों को यथावत लागू किया जायेगा।

कार्यसूची संख्या ६.१७ विद्यापीठ द्वारा वर्ष २०१५-१६ में विज्ञापन संख्या १,२,३ एवं ४ के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों पर नियुक्त अध्यापकों की सूची विद्वत्परिषद् की सूचनार्थ प्रस्तुत।

क) विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2015-16 में विज्ञापन संख्या 1,2,3 के अन्तर्गत विज्ञापित शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति सभी नवागत अध्यापकों का स्वागत किया गया।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सी.ए.एस. योजना के तहत विद्यापीठ द्वारा अध्यापकों को उच्च वेतन मान में पदोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.१८ शैक्षणिक क्रिया-कलापों के सुचारु संचालन/संपादन हेतु समय-समय पर सत्र २०१६-१७ में कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेशों की पुष्टि।

रेनू वर्मा

शैक्षणिक क्रिया–कलापों के सुचारु संचालन/संपादन हेतु समय-समय पर सत्र 2016-17 में कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेशों की विद्वत्परिषद्द्वारा पुष्टि की जाती है तथा इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से संबंधित नीतिगत सुझावों को नियमानुसार क्रियान्वित करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.१९ विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रविष्ठ उपस्थिति/त्रैमासिक प्रगति विवरण एवं छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में नाम निरस्त करने हेतु नियम तैयार करने के लिए समिति का गठन।

शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार शोधछात्रों को कुल उपस्थितियों तथा प्रगति विवरण के आधार पर सम्बन्धित शोध निर्देशकों, विभागाध्यक्षों, संकाय प्रमुखों की अनुशंसा पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। विद्यापीठ में समय-समय पर होने वाले शैक्षिणक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सभी शोधछात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उनको जारी रखने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति, प्रगति विवरण में दिये निर्देशों एवं विद्यापीठ के अनुशासन का सर्वदा पालन करना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक विभाग में पंजीकृत शोधछात्रों को वरियता सूची के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। प्राय: यह पाया गया है कि कुछ शोधछात्रों द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कुछ छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की जा चुकी है परन्तु विभाग में शोध कार्य हेतु उपस्थित नहीं हो रहे है।

इस सम्बन्ध में नियम तैयार करने हेतु समस्त संकाय प्रमुखों की एक समिति का गठन किया गया जिसमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक सदस्य होंगे। जा सकता है। उक्त समिति का उपवेशन वर्ष में दो बार - जनवरी और जुलाई - में अनिवार्य रूप से किया जाय और अपनी संस्तुतियों को कुलपति महोदय को प्रस्तुत करे। कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात् छात्र के नाम निरस्तीकरण सम्बन्धी निर्णय को लागू किया जायेगा।

कार्यसूची संख्या ६.२०

अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत होने वाले अन्य विचारयीय विषय।

रेनू बतरा

कार्यसूची संख्या ६.२० (१)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्ध शासकीय पत्र संख्या F-4-30/2015(SAP-II) दिनांक २/१२/२०१६ के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धारा १२-बी के तहत मान्यता के संदर्भ में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्ध शासकीय पत्र संख्या F-4-30/2015(SAP-II) दिनांक 2/12/2016 के अनुसार सूचित किया गया है कि जो मानित विश्वविद्यालय अभी तक धारा 12-बी के तहत अपना मान्यता प्राप्त नहीं हैं वे छ: माह के भीतर मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, अन्यथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय को SAP के लिये अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।

विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विकास विभाग के माध्यम से धारा 12-बी से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित की जा चुकी हैं तथा धारा 12-बी के अन्तर्गत मान्यता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या-एफ-4-30/2015(SAP-II)दिनांक 2/12/2016 के अनुपालन में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वे विद्यापीठ की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-बी के अन्तर्गत मान्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र आयोग को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यसूची संख्या ६.२०(२)सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा प्रेषित अर्धशासकीय पत्र सं. एफ-१४-२५/२०१६(सीपीपी-॥) दिनांक ११/११/२०१६ के अंतर्गत एन.सी.सी को उच्च शिक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित करने पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाय। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि आयोग से नये विषयों के अध्यापन हेतु अध्यापकों के आवश्यकतानुसार पदों के सृजन के लिये पत्र प्रेषित किया जाय। पदों की प्राप्ति के उपरान्त नये विषयों के अध्यापन पर विचार किया जा सकता है।

कार्यसूची संख्या ६.२०(३) शिक्षा संकाय की शोध समीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु।

रेनू बतरा

विभागीय शोध समीक्षा समितियों की बैठकों के अन्तर्गत प्रदत्त संस्तुतियों को लागू करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.२०(४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या फ. एन-६-२/८३/(सीपीपी-१/डीयू) दिनांक १८/११/१६ के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २०१६ के धारा ११.२ के अनुपालन में विद्यापीठ की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 की धारा 11.2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर अर्क नाथ चौधरी, कुलपति, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वेरावल, जूनागढ़ की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 9/8/2016 से 11/8/2016 तक विद्यापीठ की गत 5 वर्ष की बहुआयामी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया। विद्यापीठ के अध्यापक, कर्मचारी और छात्रों से गहन चर्चा की गई। समिति द्वारा विद्यापीठ की बहुआयामी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 519 वीं बैठक दिनांक 15/11/2016 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या फ.एन-6-2/83/(सीपीपी-1/डीयू) दिनांक 18/11/16 के अनुसार विश्ंवविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के धारा 11.2 के अनुपालन में विद्यापीठ की समीक्षा हेतु गठित समिति की समीक्षा रिपोर्ट विद्यापीठ को प्रेषित की गयी है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों / सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट छः माह के भीतर आयोग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 8/12/2016 को आयोजित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा योजना एवं देखरेख बोर्ड की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया था।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया की विद्यापीठ की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार कराने एवं उसे आयोग को प्रेषित करने के सम्बन्ध में कुलपित महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.२०(५) 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन (MOOCs) पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा नियमावली - २०१६ के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक ८/१२/१६ का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

रेनू वर्मा

दिनांक 8/12/2016 को 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन (MOOCs) पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा नियमावली -2016 के लिये गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा मूक्स के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमावली तैयार की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा विनियम 2016 तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया, तद्नुसार विद्यापीठ द्वारा तैयार नियमावली सत्र 2016-17 को पुष्ट किया गया जो तत्काल प्रभावी होगी।

कार्यसूची संख्या ६.२०(६) सोलहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, अंशकालिक प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करने की स्वीकृति हेतु।

वर्ष 2015-16 की सत्रीय परीक्षाओं में सम्मिलित शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, अंशकालिक प्रमाणपत्रीय और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। सम्बन्धित पाठ्यक्रमों/विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को आगामी दीक्षान्त समारोह के अवसर पर उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या ६.२०(७) शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 8/11/2016 को आयोजित की गई। समिति द्वारा छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित नियमों का अवलोकन करने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु अनुशंसा की गई। विद्वत्परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या ६.२०(८) शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विद्यावारिधि में पंजीकरण हेतु आयोजित शोध मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शोध मण्डल की बैठक दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गई। शोध मण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार 73 शोधच्छाओं को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में विभिन्न विभागों में पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

तदनुसार 73 छात्र को वर्ष 2016-17 में विद्यावारिधि के लिए पंजीकृत किये गये हैं। विद्वत्परिषद् द्वारा सभी शोध छात्रों को विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में अस्थाई पंजीकरण की पुष्टि की गयी और इस सम्बन्ध में शोध मण्डल के अन्य सम्बन्धित निर्णयों की भी पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या ६.२०(९) कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यापीठ के सामान्यतः सभी पाठ्यक्रमों में सर्वोत्कृष्ट छात्र को पदक प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है। यह सुविधा विशिष्टाचार्य के छात्रों को प्राप्त नहीं है। एतदर्थ वाराणसी के अन्नपूर्णा मठ के महन्त रामेश्वरपुरी द्वारा विशिष्टाचार्य के सर्वोत्तम छात्र को स्वर्ण पदक देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि अन्नपूर्णा मठ के महन्त रामेश्वरपुरी को स्वर्ण प्रदान करने के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिये कुलसचिव द्वारा एक पत्र प्रेषित किया जाय।

विद्वत्परिषद् द्वारा डॉ. दिनेश, संयुक्त कुलसचिव एवं पूर्व आचार्य श्रीधर वशिष्ठ के आकस्मिक निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया।

शांति पाठ के बाद विद्वत्परिषद् की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

रेणु बत्रा
डॉ. रेणु बत्रा
कुलसचिव एवं सचिव

प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय
कुलपति एवं अध्यक्ष